रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-09122022-240910 CG-DL-E-09122022-240910

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5484] No. 5484] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 8, 2022/अग्रहायण 17, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 8, 2022/AGRAHAYANA 17, 1944

## पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2022

का.आ.5720 (अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या मौजा आनंदपुर के लिए 2546(ई) दिनांक 30/05/2022, उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में जगदीशपुर-हल्दिया—बोकारो-धामरा पाइप लाइन (जे एच बी दी पी एल)& स्पर पाइप लाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी:

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, सक्षम प्राधिकार ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइनें बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

8150 GI/2022 (1)

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइनें बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम कि धारा 6 कि उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, निर्देश देती है कि पाइपलाइनें बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, पाइपलाइनें बिछाने का प्रस्ताव करने वाली गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विल्लंगमों से मुक्त, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

जगदीशपुर-हल्दिया -बोकारो-धामरा पाइपलाइन और स्पर पाइपलाइन प्रोजेक्ट, 3 बी सेक्सन, पश्चिम बंगाल अनुसूची

राज्ज : पश्चिम बंगाल

जिला	- <del></del>		ту-т	थाना	-13011	सर्वे नं.	क्षेत्रफळ				
ાળલા		ब्लॉक		मौजा	नं.	नक्शा	सप ग.	हेक्टेअर–आर–वर्ग मीटर			
1		2		3	4	5	6	7			
पूर्ब मेदिनीपुर		सुताहाटा	-2	आनन्दपूर	52	आर.एस.	467	467 0 01		98	
					•		468	0	01	77	
							592	0	11	54	
							593	0	07	72	
							598	0	09	74	
							599	0	05	26	
							600	0	00	55	
							625	0	04	69	
							627	0	06	11	
							629	0	14	73	
							631	0	08	23	
							632	0	02	92	
							633	0	06	24	
							663	0	01	68	
							668	0	04	70	
							669	0	01	25	
							671	0	04	55	
							672	0	12	89	
							674	0	03	01	
							675	0	06	24	
पूर्ब मेदिनीपुर	सुत	ाहाटा–2	आ	नन्दपूर	52	आर.एस.	676	0	08	02	
							677	0	04	83	
							1058	0	07	12	
							1061	0	10	27	
							1062	0	00	50	
							1063	0	07	34	
							1064	0	09	88	
							1068	0	18	60	
							1095	0	02	50	
							1098	0	07	26	
							1099	0	05	67	
							1100	0	01	99	
							1102	0	07	53	
							1104	0	07	51	

1105	0	04	01
1106	0	02	94
1109	0	05	84
1113	0	01	11
1114	0	03	67
1115	0	04	74
1117	0	09	46
1120	0	05	10
1173	0	01	29
1183	0	01	28

[फा. सं. एल-14014/118/2022-जी-पी-II(ई-43112)]

राकेश मिश्रा. अवर सचिव

## MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th December, 2022

**S.O. 5720(E).**—whereas by the notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas vide 2546(E) Dated 30/05/2022 for Mouza Anandapur, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 to 1962) hereinafter referred to as the said Act, Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Jagadishpur-Haldia-Bokaro-Dhamra Pipeline (JHBDPL) & spur Pipeline, in the State of West Bengal by GAIL (India) Limited;

And, whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted his report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section(1) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

# JAGDISHPUR – HALDIA-BOKARO-DHAMRA & SPUR PIPELINE PROJECT, 3B SECTION, WEST BENGAL

#### **SCHEDULE**

State: West Bengal

District	Block	Mauza	J.L. No.	Map	Survey		A	rea	
District	DIOCK	Mauza	J.L. NO.		No.	Hect.	Are	Sq. mtr.	
1	2	3	4	5	6	7			
Purba Medinipur	Sutahata-2	Anandapur	52	RS	467	0	01	98	
					468	0	01	77	
					592	0	11	54	
					593	0	07	72	
					598	0	09	74	
					599	0	05	26	
					600	0	00	55	
					625	0	04	69	
					627	0	06	11	
					629	0	14	73	
					631	0	08	23	

					632	0	02	92		
					633 663	0	06	24		
						0	01	68		
					668	0	04	70		
					669	0	01	25		
					671	0	04	55	l	
					672	0	12	89		
					674	0	03	01		
					675	0	06	24		
Purba Medinipur	Sutahata-2	Anandapur	52	RS	676	0		08 02		
					677	0		04	83	
					1058	0		07	12	
					1061	0		10	27	
					1062	0		00	50	
					1063	0		07	34	
					1064	0		09	88	
					1068	0		18	60	
					1095	0		02	50	
					1098	0		07	26	
					1099	0		05	67	
					1100	0		01	99	
					1102	0		07	53	
					1104	0		07	51	
					1105	0		04	01	
					1106	0		02	94	
					1109	0		05	84	
					1113	0		01	11	
					1114	0		03	67	
					1115 1117	0		04 09	74	
					1117	0		05	46 10	
					1173	0		03	29	
					11/3	0		01	28	
					1100	U		01	20	

[F. No. L-14014/118/2022-GP-II(E-43112)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.